प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 28 – 05 दिसम्बर 2016 मूल्य पांच रूपए

बिना अध्यक्षों के कब तक चलेंगे सूचना एंवम शैक्षणिक नियामक आयोग

प्रदेश की वरिष्ठ नौकरशाही की कार्य प्रणाली सवालों में

शिमला/शैल। अभी 30 नवम्बर को सेवानिवृत होकर पहली दिसम्बर को मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव की पत्नी मीरा वालिया ने निजि शैक्षणिक संस्थानों के लिये बने रैगुलेटरी कमीशन में बतौर सदस्य पदभार ग्रहण कर लिया है। सदस्य के रूप में मीरा वालिया का चयन करीब पांच छः माह पहले हो गया था। लेकिन उन्होने ने सेवानिवृति के बाद ही नया पदभार संभालने को अधिमान दिया ताकि उन्हे इस आयोग में पूरे तीन वर्ष का कार्याकाल मिल जाये। मीरा वालिया के पदभार संभालने के साथ ही इस नियामक आयोग के सदस्यों की संख्या दो हो गयी है। लेकिन अभी तक इस आयोग के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है और करीब एक वर्ष से यह पद खाली है। इस पद को भरने के लिये अलगे से आवेदने मांगने की आवश्कता होगी और इसके लिये इसे अलग से विज्ञापित करना होगा।

इस रैगुलेटरी कमीशन की तरह मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी करीब एक वर्ष से खाली चल रहा है। इस पद को भरने के लिये आवेदन भी आमन्त्रित कर लिये गये थे। लेकिन इसके चयन के लिये चयन कमेटी का गठन नही किया गया और यह पद खाली चल रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष है और यह पद उच्च न्यायालय के न्यायधीश के समकक्ष है और यहां से सेवानिवृति के बाद उसी तर्ज पर उसे लाभ मिलते हैं इसलिये इस पद के लिये कई बड़ो की नजर रहना स्वभाविक है। इस पद के चयन के लिये जो कमेटी गठित होती है उसमे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमन्त्री द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ मन्त्री/चयन बहुमत से होता है। तो स्वाभाविक है कि जिसे मुख्यमंत्री चाहेंगे वही इस पद को हासिल करेगा।

एक वर्ष से यह पद खाली चल रहा है। इसके लिये आवदेन आमन्त्रित कर लिये जाने के बाद भी चयन नही किया गया है। स्वाभाविक है कि इस पद पर किसी की नजर है जिसके लिये इस पद को अभी तक खाली रखा गया है। सचिवालय के गलियारों की चर्चाओं को यदि अधिमान दिया जाये तो इस पद पर मुख्य सचिव वीसी फारखा आयेंगे क्योंकि मुख्य सचिव के लिये जिस तरह से अपने वरिष्ठों को पछाड़ कर वह इस पद पर काबिज होने में सफल हुए हैं उससे यही संकेत उभरते हैं। फारखा के लिये इस पद को एक बार फिर विज्ञापित करना होगा क्योंकि उन्होने पहले इसके लिये आवदेन नही कर रखा है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2017 के मई जुन तक का समय लगा दिया जायेगा। क्योंकि इसा दौरान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होगा।

ऐसे में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद मुख्य सूचना आयुक्त और रैगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष का पद सब एक साथ भरे जायेंगे और तीन विश्वस्तों को यहां बिठा दिया जायेगा। इसी के साथ नया मुख्य सचिव भी एक अन्य विश्वस्त बन जायेगा। इस सब में जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनमें सीआईसी के लिये फारखा लोक सेवा आयोग के लिये नरेन्द्र चौहान रैगुलेटरी कमीशन के लिये वी एन एस नेगी और मुख्य सचिव के लिये तरूण श्रीधर शामिल हैं। लेकिन कानूनी हल्कों में इन दिनों एक चर्चा यह चल रही है कि क्या कोई कमीशन अध्यक्ष के बिना हो सकता है। कानून के जानकारों के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त बिना सूचना आयोग नही हो सकता। रैगुलेटरी कमीशन को तो पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। प्राईवेट शैक्षणिक संस्थानों ने चुनौती दी है मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इधर इतने समय तक इस पद के खाली रखे जाने से इस आयोग की आवश्यकता पर स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर यही कहीं भाजपा ने प्रशासनिक अकर्मणयता के नाम पर इन खाली पदों पर दिये अपने आरोप पत्र में सवाल उठा दिया तो स्थिति एकदम बदल भी सकती है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में गयी हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्टे लगा रखा है। अब यह मामला कभी भी सुनवाई के लिये आ सकता है। अब तक प्रदेश में जितने भी प्राईवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिये हर विश्वविद्यालय के नाम से एक अलग से एक्ट लाया जाता है। अब तक प्रदेश मे जितने भी प्राईवेट विश्वविद्यालय खुले हैं उनके किसी के भी एक्ट में यह प्रावधान नही किया गया है कि यह विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा कंट्रोल किया जायेगा। अब जब इस आयोग के अध्यक्ष का पद ही करीब एक वर्ष से खाली चल रहा है तो सरकार इसकी अनिवार्यता का औचित्य कैसे प्रमाणित कर पायेगी। अब यह सवाल चर्चा का विषय बनता जा रहा है।

इसी तरह अभी वीरभद्र सरकार ने पुलिस में सेवा निवृति से एक दिन पूर्व 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी वीएनएस नेगी को डीजीपी पदोन्नत करने से पूरे आईपीएस और आई ए एस हल्कों में यह पदोन्नति चर्चा का विषय बन गयी है। पुलिस में तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी सोमेश गोयल ने तो वाकायदा अपना रोष व्यक्त करते हुए भारत सरकार के गृहमन्त्रालय को पत्र तक भेज दिया है। उनका आरोप है कि इन पदोन्नतियों में सर्विस नियमों की पूरी तरह अवहेलना की गयी है। सोमेश गोयल की वरियता को भी नजर अन्दाज करके उन्हे डीजीपी स्टेट नही बनाया गया था। उनके कनिष्ठ संजय कुमार को डी जी पी तैनात करते समय गोयल को भी डी जी पी प्रोमोट तो कर दिया गया परन्तु उन्हे अपैक्स स्केल नही दिया गया। अब नेगी को पदोन्नत करके उन्हे सेवा निवृति से पूर्व यह लाभ दे दिया गया है। इस समय पुलिस में डी जी पी स्तर के चार अधिकारी हो गये हैं।

दूसरी ओर आई पी एस 1988 बैच के अधिकारी को डी जी पी प्रोमोट करने से आई ए एस में भी इसी गणित पर पदोन्नतियों की मांग उठने की संभावना खडी हो गयी है। आई ए एस में अभी 1987 बैच के अधिकारियों को भी अतिरिक्त मुख्य सचिव नही बनाया गया है। 1987 बैच के ए जे वी प्रसाद भी सेवा निवृति के मुकाम पर पहुंच गये हैं इस नाते आई ए एस में भी पुलिस की तर्ज पर पदोन्नति की मांग उठना स्वाभाविक है।

नोटबंदी के बाद अंबूजा सीमेन्ट ने मजदूरों को निकालने के लिये गेट पर चिपकाये नोटिस

78 मजदूर निकाले गये और अन्य की तैयारी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नोटबंदी घोषणा के बाद प्रदेश के सबसे बड़े सीमेंट कारखाने अंबूजा में कार्यरत मजदूरों को काम से निकालने का काम शुरू हो गया है। स्मरणीय है कि अंबूजा सीमेन्ट में मजदूरी का सारा काम ठेकेदारों के माध्यम से अन्जाम दिया जाता रहा है। अब इन्ही ठेकेदारों के नाम से मजदूरों सेपरेशन स्कीम के तहत काम से हटाने के नोटिस कंपनी के गेट पर चिपका दिये गये हैं। अब तक 78 लोगों को काम से हटा दिया गया है और अन्य के भविष्य पर तलवार लटक गयी है। काम से हटाने के लिये जो नोटिस जारी किये गये हैं उनमें कहा गया है कि अब उनके पास काम नही रहा है और भविष्य में भी काम होने की संभावना नही है। ऐसे में बिना काम के मजदूरों को वेतन दे पाना संभव नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि अचानक काम में कमी कैसे आ गयी है? या फिर इसके पिछे कोई और खेल खेला जा रहा है।

प्रदेश के लेवर विभाग का इस बारे में कहना है कि वह इस संबध में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि सीमेंट उद्योग केन्द्र सरकार की कन्ट्रोल्ड सूची में आता है। इस कारण सीमेन्ट उद्योग में कार्यरत लेवर के बारे में भी केन्द्र का लेवर विभाग ही इसका सज्ञांन ले सकता है। इसके लिये पीड़ित मजदूरों को केन्द्र के डिप्टी चीफ लेवर कमीशनर चण्डीगढ़ के पास ही अपनी याचिकाएं दायर करनी होगीं। प्रदेश के लेवर विभाग को मजदूरों को निकाले जाने के बारे में कोई जानकारी ही नही है। उधर अबुंजा में मजदूरों के अन्दर बहुत रोष व्याप्त हो चुका है और मजदूर अपने भविष्य के लिये किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गये हैं। प्रबन्धन ने इस स्थिति से निपटने के लिये पुलिस बल भी तैनात करवा दिया है।

मंत्रिमण्डल के निर्णय

PAT टीचरों को वीरभद्र का तोहफा

शिमला/शैल। मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक अध्यापकों (पैट) का मानदेय 8900 रुपये से बढ़ाकर 11000 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से 3240 प्राथमिक सहायक अध्यापकों को लाभ होगा और इस पर सालाना 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे। वर्तमान में पैट को अगस्त 2013 से 8900 रुपये मानदेय प्रदान किया जा रहा था। ये अध्यापक 10 वर्षों से अधिक लम्बे समय से जे.बी.टी. अध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्ध अपनी सेवाएं दे रहे थे।

मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में 1996 नीति के अंतर्गत नियुक्त अंश कालीन जल वाहकों तथा दैनिक भोगी जलवाहकों एवं सेवादारों, जिन्हाने 31 मार्च तथा 30 सितम्बर, 2016 तक लगातार 14 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, की सेवाएं बतौर सेवादार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में 5 मैगावाट क्षमता तक की 95 जल विद्युत परियोजनाओं को जिनकी कुल क्षमता 197.695 मैगावाट है, हिमाचलियों तथा गैर हिमाचलियों को आंवटित करने का निर्णय लिया गया। 126.695 मैगावाट की 74 परियोजनाएं हिमाचलियों तथा 76 मैगावाट की 21 परियोजनाएं गैर हिमाचलियों को आवटित करने का निर्णय लिया गया। यदि आवटित परियोजना की क्षमता 5 मैगावाट से बढ़ती है, तो 5 मैगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिये नीति के अनुरूप आवेदक द्वारा अतिरिक्त निःशुल्क ऊर्जा रायल्टी सहित परियेजना की पूरी क्षमता पर सभी चार्जिज अदा करने होंगे। मंत्रिमण्डल ने 13 मैगावाट क्षमता की निचली ऊहल जल विद्युत परियोजना के संबंध में क्रियान्वयन अनुबंध को निरस्त करने की स्वीकृति दी तथा इसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से बूट आधार पर सर्वोच्च प्रीमियम बोलीदाता को आवंटित करने का निर्णय लिया।

बैठक में उप समिति की अनुसंशा के आधार पर शिमला तथा धर्मशाला नगर निगम सीमाओं में खतरा बन रहे पेड़ों को गिराने/हटाने/छंटाई करने की मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के शहरी निकायों में विभिन्न श्रेणियों के 113 क्रियाशील पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों (एमबीबीएस) के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से कोषाधिकारियों के 7 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

हीरानगर में नव-निर्मित संप्रेक्षण गृह में आईसीपीएस मापदण्डों के अनुरूप निर्धारित वेतन पर विभिन्न श्रेणियों के 9 पद सृजित करने तथा भरने की स्वीकृति।

सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के 6 पद भरने की मंजूरी प्रदान। मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वाईटल विंग में अनुबंध आधार पर कनिष्ट कार्यालय सहायकों (आईटी) के 4 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबंध आधार पर प्रबन्धक (आईटी) के दो पद तथा उप-प्रबंधक (आईटी) के दो पद भरने की स्वीकृति प्रदान।

बैठक में महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत महिलाओं के राज्य स्त्रोत केन्द्र के लिए 2 पद सृजित/भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से 2 पद अधीक्षक (गृह) भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जनजातीय विकास विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं में उप-निदेशक के एक पद को सृजित/भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राज्य के प्रत्येक मण्डलीय आयुक्त के जिला न्यायवादी कार्यालय के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ट कार्यालय सहायक (आईटी) का एक पद तथा दैनिक भोगी आधार पर सेवादार का एक पद सृजित/भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने मण्डलीय बन्दोबस्त अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर एक पद आशुटंकक तथा एक पद चालक का भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय खुडियां में वरिष्ठ प्रवक्ता सहायक का एक पद तथा एक पद कनिष्ठ प्रवक्ता सहायक के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिप्पा में सहायक लाईब्रेरियन के एक खाली पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नगर परिषद पालमपुर में पम्प आपरेटर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रदेश में आईसीपीएस के तहत चल रही राज्य बाल संरक्षण सोसायटी में दैनिक भोगी के आधार पर एक पद वाचमैन एवं सेवादार तथा अशंकालीन आधार पर एक पद सफाई कर्मचारी के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में टूटीकण्डी स्थित बाल आश्रम में एक पद नर्स, एक पद बावर्ची तथा अंशकालीन सफाई कर्मचारी का एक पद सिजत करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज तथा डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज तथा अस्पताल टांडा में आवश्यक पदों सहित इंडोक्रिनॉलाजी विभाग को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की ग्राम पंचायत बलगार तथा हमीरपुर के चम्बोह में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में बिलासपुर जिला के कंजयान, लैहड़ी-सरेल, बड्डू सहानी तथा मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कास में स्टाफ सहित नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हटवाड़ को आवश्यक स्टाफ सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के बद्दी में सरकारी भूमि को केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण के लिए भारत सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में बड्डोग विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के हरोली के पंडोगा में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में चौपाल की उप-तहसील नेरवा तथा सिरमौर जिले की उप तहसील कमारू को तहसील में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के कुठवाड़ा (गेहरा) तथा सलहाण (तीसा) में नए प्राथमिक स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त चीनी के प्रापण के लिए निविदा प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में भू-विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्रत्येक नए कृषि पम्प कनेक्शन के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी स्टार लेवलड मोटर पम्प सेट के उपयोग को अनिवार्य बनाने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला के तकलेच तथा किन्नौर जिला के कल्पा स्थित पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाफ सहित पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत तुनन के गांव तुनन में आवश्यक स्टाफ सहित पशु औषधालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विद्युत (कर)संशोधन विधेयक, 2016 को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता निर्बाध प्रवेश सुविधा के लिए विद्युत कर तथा भारतीय ऊर्जा विनियम से प्राप्त विद्युत पर 51 पैसे प्रति यूनिट की दर से कर निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटक्शन ऑफ लाइवलीहुड एण्ड रेगुलाईजेशन आफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत नियम बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश भू-हस्तांतरण (विनियमन संशोधन) विधेयक-2016 को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियम-2005 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन मूल्य वर्धित कर नियम-2005 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रणाली और सामान की ढुलाई तथा परिवहन कम्पनियों के एजेंटों द्वारा रिटर्न भरने की प्रक्रिया और ई-कॉमर्स पर 5 प्रतिशत समान कर, जो ऑनलाईन खरीददारी के लिये नए फार्म को शामिल करने से संबंधित है।

बैठक में हिमाचल प्रदेश टैक्स अ न एन्ट्री ऑफ गुडस इनटू लोकल एरिया रूल्स-2012 के तहत नए नियम-4 ए शामिल करने तथा हिमाचल प्रदेश टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुडस इनटू लोकल एरिया रूल्स-2010 में नए एन्ट्री नम्बर-15 की अनुसूची-2 को संलग्न करने को मंजूरी प्रदान की गई।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS(IFB)

The Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Una on behalf of the Governor of H.P. invited thee online bids on item rate in electronic tendering system for the under mentioned work (s) from the eligible and approved Electrical Contractors/ firm registered with HPPWD in appropriate class.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of Form (Rs.)
1.	Construction of I.T.I building at Sujanpur Distt. Hamirpur HP (SH:- Providing E.I therein)	1503644/-	30,100/-	Three Years	500 /-NR
2.	Construction of ADRs Center Building at Hamirpur Distt. Hamirpur HP (SH:- Providing 1 No 10 Passengers elevator Traction therein)	1895000/-	36,000/-	Two Years	500/-NR

2. **Availability of Bid Document and mode of submission :** The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in. Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and pass-word for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.govt.in. in /digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Date.

1. Date of Online Publication:	17.12.2016 at 1700 HRS
2. Document Download Start and End Date.	17.12.2016 at 1700 HRS upto 29.12.2016 1700HRS.
3. Bid Submission Start and End Date.	07.12.2016.at 17.30 upto29.12.2016 17:00 HRS.
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Documents.	30.12.2016 upto 11:30 HRS.
5. Date of opening.	30.12.2016 11:30 HRS.

4.Tender Details:-
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.
i) Cover -1 Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/ eligible Information"
ii) Cover-2:- Shall contain. BOQ/Financial Bid where contractor will quote his offer for each item.
5.SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:- The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the O/o Executive Engineer Electrical Division H.PPWD. Una HP as specified in Key dates Sr .No. 4 on Tender Opening Date. Failing which the bid will be declared non-responsive.
6.BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 06.08.2016 at 11:00 HRS in the office. In the office of Executive Engineer HPPWD Una by the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders.
7. If the happens to be holiday on the date of opening of the bids a specified ,the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
8. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days .after the deadline date for bid submission.
9. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control .Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not re-ceived by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
10. The competent authority on behalf of Governor of H.P reserves the right to reject any or all tenders received without assigning any reason.

Adv. No.-3292/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVIING TENDER

Sealed item rate/ percentage rate tender on form No. 6&8 are by hereby invited by the Executive Engineer, Arki Division HP, PWD Arki on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the compe-tent (in this regard the decision of the Executive Engineer shall be final0 contractors enlisted with HP, PWD in appropriate class whose registration stood renewed as per revised instruction and also registered dealers under the Himachal Pradesh sales Tax Act, 1968 The application for tender form will be received on 22.12.2016 upto 4:00 P.M. . The tender form will be issued on 24.12.2016 upto 4:00 P.M. . The tender form will be received on 26.12.2016. 10:30 A.M and will be opened on the same day at. 11:00 A.M.in the presence of the contractors or their authorized representative who may like to present. The form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on 22.12.2016 . The earnest money should be deposited in the shape of National saving certificate. Time deposit / Post Office saving bank account in any of the Post office in H. P. duly pledged in the name of the Executive Engineer Arki Division , HP.PWD Arki and tender form will be issued only those contractors who will deposit the Earnest Money at the time of sale of tender. The conditional tenders shall not be entertained. If holiday is declared suddenly by the govt. on the above date due to some reason the tender shall be received and opened on the next working day. The intending contractors/firms will have to produce all required documents at the time of making application such as Income Tax clearance certificate for the proceeding year, registration /renewal of registration and sales tax number (Under H.P. G.S. T.) Act. Special care should be taken to write the rates both in figures and in words, failing which their tender will bee rejected. No tender form shall be issued to the contractors /firms who have already two works in HPPWD . The offer of the tender shall remain open foe 120 days from the date of opening of the tender The Executive Engineer reserves the right to accept or reject the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Form	Cost of Form	Time
1.	Balance work of I.T.I Building at Arki Distt. Solan HP (SH:-Providing pre-painted sheet roofing and wall putty etc.	7,85,427/-	15800/-	6&8	350/-	3 Months

TERMS AND CONDITIONS:-
1. The tender documents shall be issued only to those contractors firms fulfill the following criteria:-The latest renewal of enlistment/proof of valid registration and income tax clearance certificate /Permanent Account Number (PAN) must accompany the request for obtaining the tender documents.
2. The contractor should be registered under H.P. General Sale Tax Act. 1968 and a proof there of must. Accompany the request for obtaining the tender documents.
3. The application for obtaining tender documents must be accompanied with earnest money in the shape of National Saving certificate /Time deposit account in any of the Post Office in H.P./F.D.R. from any Nationalized Bank duly pledged in favour of the Executive Engineer. Tender applications received without Earnest Money shall not be entertained and out rightly rejected and no tender form will be issued.
4. Ambiguous /telegraphic/ Conditional tenders or tender by fax/ E-mail not be entertained /considered and will summarily be rejected.
5. The Assistant Engineer, reserve the right to reject/ cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
6. The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender.
7. If the date given above happens to be a holiday , the same shall be processed on next working day.
8. The contractor/firms must quote their rates in words as well in figures.
9. No tender form will be issued to those contractor whose performance was not found satisfactory during the execution of previous award works.

Adv. No.-3332/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

विश्वविद्यालयों में भी होगी कैशलैस व्यवस्था

शिमला/शैल। हिमाचल राजभवन में पूरी तरह से कैशलैस व्यवस्था लागू करने के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस व्यवस्था को व्यापक रूप देने के लिए नई पहल की है।

राजभवन, शिमला में 7 दिसम्बर को राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर सहित प्रदेश के तीनों सरकारी तथा अन्य सभी निजी विश्वविद्यालयों को भी कैशलैस करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रात: 11 बजे आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपतियों सहित प्रदेश के सभी अग्रणी बैंकों के प्रमुख और भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में विश्वविद्यालय स्तर पर नकद भुगतान के स्थान पर कैशलैस व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने पर सुझाव लिए जाएंगे।

इसके पश्चात, 17 दिसम्बर को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित संबंधित विश्वविद्यालयों के टॉपर विद्यार्थियों के लिए राजभवन में सायं 6 बजे एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को बैंक प्रमुखों द्वारा कैशलैश व्यवस्था को सुगमता से उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पीएनबी, सहकारी बैंक इत्यादि शामिल हैं।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि बैठक और कार्यशाला का उद्देश्य कैशलैस व्यवस्था को जनमानस तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी प्रशिक्षित होंगे और वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों में अन्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। चूंकि, विश्वविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश होने के कारण इस दौरान उन्हें शपथ दिलाई जाएगी कि एक विद्यार्थी अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कम से कम 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के माध्यम से यह क्रम कालेज स्तर तक कार्यान्वित किया जाएगा ताकि कैशलैस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी व पहला राज्य बन सके और हर व्यक्ति इसका हिस्सा बन सके।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि इस व्यवस्था से जहां पारदर्शिता आएगी वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा तथा सुरक्षित लेन-देन और कर प्रणाली और मजबूत बनेगी। इस कार्य में शिक्षित युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुरूकुल, कुरूक्षेत्र, जहां से वे संबंधित हैं, में कैशलैस व्यवस्था पिछले आठ सालों से चल रही है। यहां फीस जमा करने से लेकर अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीददारी कैशलैस व्यवस्था से होती है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले के स्वागत के बाद कैशलैस व्यवस्था में सहयोगात्मक रूख अपनाते हुए राज्यपाल ने महत्वपूर्ण पहल की है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में 31.21 लाख लाभार्थियों का चयन

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अक्तूबर, 2013 से लागू किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत राज्य को 36.85 लाख उपभोक्ताओं के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से प्रदेश में 31.21 लाख लाभार्थियों का चयन हो चुका है। योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलो प्रति माह चाचल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा चयनित अन्तोदय अन्न योजना की नवीनतम सूची के अनुसार समस्त लाभार्थी परिवार पात्र गृहस्थियों की सूची में स्वत: शामिल होंगे। इसी प्रकार सभी बीपीएल व अतिरिक्त परिवार नवीनतम अनुमोदित सूची के अनुसार, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा हो, अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत चयनित गृहस्थियां तथा सभी तिब्बतियन/शरणार्थी, जिन्हें तिब्बतियन सेटलमैंट अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, योजना में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक गृहस्थियों को सम्मिलित करने के मापदण्डों के अनुसार एकल नारी, आश्रमों में रह रहे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चे, गृहस्थियां जिनकी मुखिया विधवा हो, 60 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले, ऐसी गृहस्थियां जिनके मुखिया को कोई घातक रोग हो, जिनका मुखिया 60 वर्ष या अधिक आयु का हो अथवा जिनके पास आजीविका का कोई साधन न हो, श्रमिक के रूप में पंजीकृत मुखिया, कुष्ठ रोग, एचआईबी व कैंसर से संक्रमित गृहस्थियां, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार व युद्ध में मृत सैनिक की विधवाएं, वृद्ध व बाल आश्रमों, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम में रहने वाले, तिब्बतियन चिलड्रन विलेज स्कूल, सूजा/वीर मण्डी और चौंथड़ा यदि इन्हें सरकार से खाद्यान के रूप में सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो, योजना में सम्मिलित होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि जिन गृहस्थियों के पास 5 हेक्टेयर गैर असिंचित या दो हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक न हो तथा ऐसी गृहस्थियां जिनकी मासिक आय 12 हजार रुपये से अधिक न हो योजना में शामिल होंगे।

प्रदेश सरकार विशेष बच्चों को आरक्षण प्रदान करने पर करेगी विचार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य स्तरीय विश्व विकलांगता दिवस की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उनकी योग्यतानुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध करवाने पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यह दायित्व बनता है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों के बेहतर भविष्य सुनिश्चित बनाया जाए। हालांकि समाज व गैर सरकारी संगठन इनके पुनर्वास, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास में सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं ताकि उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सके।

वीरभद्र सिंह ने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार ऐसे गैर सरकारी संगठनों, जो ऐसे लोगों की सेवा तथा उन्हें शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिए तैयार करने में समर्पित हैं, को पूर्ण सहयोग देगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 26076 व्यक्ति दृष्टिबाधित, 34978 मूकबधिर, 32550 ऐसे व्यक्ति हैं, जो सही प्रकार से चल नहीं सकते, 8986 मानसिक रूप से कमजोर तथा 52726 विभिन्न अपंगताओं से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंग हैं, उन्हें विभाग द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का समुचित उपयोग कर सकें।

इससे पूर्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।उन्होंने कहा कि सभी मन्दिर न्यासों, जो प्रदेश सरकार के अधीन है, को कहा गया है कि वे चिन्हित करे कि ऐसे व्यक्तियों को तीन प्रतिशत नौकरियां प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि शिमला तथा कुल्लू जिले के विभिन्न होटलों में आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में 48 विशेष लड़कों व लड़कियों की भर्ती की गई है और अगले चरण में दृष्टिबाधित, ऑर्थोपैडिकली तथा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी उपयुक्त नौकरी दिलाई जाएगी।

हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत

शिमला/शैल। भारत के राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की बैस्ट चौनलाईजिंग एजेंसी के अन्तर्गत वर्ष 2016 के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

निगम को यह पुरस्कार विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए प्रदान किए गए ऋण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने निगम को पुरस्कार के लिए चयनित किया है। केन्द्रीय मंत्रालय हर वर्ष विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को रोजगार में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न संगठनों को पुरस्कार प्रदान करता है। प्रदेश सरकार की ओर से यह पुरस्कार निगम के प्रबन्ध निदेशक डा. सुशील कापटा को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह प्रदान किया गया।

यात्रियों से खिलवाड़ नहीं निजी बस मालिकों चेतावनी :बाली

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जी. एस. बाली ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, और सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आमतौर पर निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं और बसों में इस प्रकार की अनावश्यक भीड़-भाड़ के चलते सवारियों को असुविधा के साथ-साथ भय का भी वातावरण बना रहता है। उन्होंने निजी बस संचालकों से आग्रह किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बस की क्षमता से अधिक सवारियां की अनुमति किसी भी हाल में न हो और इस संदर्भ में चालकों व परिचालकों को कड़े निर्देश जारी करें।

बाली ने कहा कि इसी प्रकार, परिवहन विभाग को आम जनता से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि निजी बस मालिक अपनी बसों का संचालन जारी किए गए परमिट की शर्तों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, अथवा बिना परमिट के भी कुछ बसों के संचालन की शिकायतें हैं। इस तरह का अवैध संचालन यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा दोनों के ही हित में नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को पूरे प्रदेश में विगत 30 नवम्बर को सभी बसों की चौकिंग कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी निजी बस मालिकों से आग्रह किया है तथा उन्हें अगाह भी किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के अंतर्गत परमिट की शर्तो का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर कम से कम तीन माह की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालकों के विरूद्ध भविष्य में यदि कन्ट्रेक्ट कैरीज परमिट की शर्तो के उल्लंघन को लेकर कोई एक भी शिकायत आती है, तो परिवहन विभाग अधिनियम के अनुरुप न्यायालय में इस संबंध में चालान प्रस्तुत किया जाएगा।

बाली ने ऑन-लाईन बुकिंग एजेन्सियों को भी अगाह किया है कि वे कन्ट्रेक्ट कैरीज बसों के टिकट जारी करने से बचे अन्यथा उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

परिवहन मंत्री ने बाहरी प्रदेशों से राज्य में आ रहे यात्रियों तथा राज्य के यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्रा से पूर्व इस बात को पुख्ता कर लें कि जिस बस से वे यात्रा कर रहे हैं, वह कन्ट्रेक्ट कैरीज परमिट से चल रही है या नहीं। यदि कन्ट्रेक्ट कैरीज बाकायदा परमिट से चलाई जा रही है तो इसमें अलग-अलग यात्रियों का टिकट नहीं बन सकता और न ही ऐसे परमिट की बस किसी यात्री को रास्ते में उतार अथवा चढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि यात्री को परमिट का पता करना इसलिये आवश्यक है कि उन्हें परिवहन विभाग द्वारा बस की चौकिंग के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही यात्री निजी बस मालिकों की मनमानी से भी बच सकें।

बाली ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को भी निर्देश जारी किए हैं कि परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली चौकिंग के दौरान पूर्ण सहयोग करें और चौकिंग के लिये यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत अपनी बसें उपलब्ध करवाएं। उन्होंने इस संबंध में आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है।

नौतोड़ नियमों में छूट देने का स्वागत: भरमौरी

शिमला/शैल। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र का वन संरक्षण अधिनियम में प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यो के लिए नौतोड़ नियमों में दो वर्ष के लिए छूट बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया है। भरमौरी ने कहा कि इस निर्णय से जन जातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यो को गति मिलेगी और इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। भरमौरी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश सरकार विभिन्न विकासात्मक कार्यो जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थानों के निर्माण, विद्युत तथा दूरसंचार लाईनें स्थापित करने, पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं तथा बीआरओ के सड़कों तथा पुलों निर्माण के लिए स्वीकृति देने में सहायता मिलेगी।।

ट्रिब्यूनल में 7934 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 7934 मामलों का निपटारा किया, जिनमें 6944 नए मामले और 990 मामले उच्च न्यायालय से प्राप्त हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 28 फरवरी, 2015 को कार्य आरम्भ किया था और वर्तमान में इसकी दो डिविजन बैंचिज कार्य कर रही है।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि 30 नवम्बर, 2016 तक कुल 19392 दायर किए गए, जिनमें 13018 नए मामले और 6374 मामले हि.प्र. उच्च न्यायालय से स्थानांतरित हैं।

इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल ने इस अवधि के दौरान 116 अवमानना याचिकाएं, 10 समीक्षा याचिकाएं, सात एक्स याचिकाएं और 3613 विविध आवेदनों का भी निपटारा किया गया है।

उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल ने 2009 से पहले के पुराने मामलों का प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्णय लिया है ताकि लंम्बित मामलों को निपटाया जा सके।

पूंजी अपने-आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी ना किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

नोटबंदी-नीयत और नीति सवालों में

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नोटंबदी का फैसला क्या एक ऐतिहासिक भूल बनकर ही तो नहीं रह जायेगा अब यह सवाल उभरने लग पड़ा है। क्योंकि नोटबंदी से कालेधन पर अंकुश लगाने और कालेधन के सहारे चल रही समानान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का दावा और वायदा देश से किया गया था। लेकिन जैसे-जैसे इस फैसले के बाद भी कालाधन घोषित करने की समय सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं और उन्हें 50% टैक्स देकर अपना शेष धन वैध बनाने का अवसर दिया जा रहा है उससे इस फैसले की नीयत और नीति दोनों पर ही सन्देह होने जा रहा है। क्योंकि नोटबंदी से पहले यह स्थिति जग जाहिर हो चुकी थी कि हमारे की बैंक घाटे में चल रहे हैं। देश के 55 लोगों के पास 85 हजार करोड़ कर्ज होने का आंकड़ा भी सामने आ चुका था। बैंको का एनपीए बढ़ता जा रहा था। संभवत: इसी वस्तुस्थिति को सामने रखकर रिर्जव बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बड़े लोगों को दिये जा रहे बड़े कर्जो पर चिन्ता जताते हुए उनका विरोध किया था। गरीब को दस रूपये की सबसिडि देकर बड़े घरानों को लाखों करोड़ के पैकेज देना खुली बहस का मुद्दा बन चुका था। आम आदमी इस स्थिति पर मुखर होने लग पड़ा था क्योंकि इसी के कारण मंहगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। लोकसभा चुनावों से पहले इस कालेधन को लेकर बड़े-बड़े दावे और वायदे किये गये थे।

इस परिदृश्य में यह स्वाभाविक था कि यदि इन दावों वायदों को अमली जामा देना है तो उसके लिये कर प्रणाली को सरल करना होगा और इस दिशा में जीएसटी को लाया गया। लेकिन अकेले जीएसटी से ही पूरी स्थिति में सुधार नही हो सकता था इसके लिये कुछ और भी चाहिये था जो कि नोटबंदी के ऐलान के रूप में सामने आया। आम आदमी इस फैसले से इसलिये खुश हुआ कि उसके पास 500 और 1000 के इतने नोट नहीं है जो अवैध करार दिये जाने के दायरे में आयेंगे क्योंकि उसने कोई टैक्स चोरी नही की है। इसलिये यही आम आदमी पुराने नोट बदलवाने के लिये बैकों के आगे लाईने लगाकर खड़ा हुआ। जबकि कोई भी कर चोर इन लाईनों में नही देखा गया क्योंकि जब सरकार ने सरकार को दिये जाने वाले सारे बिलों के भुगतान में पुराने नोटों की सुविधा दे दी तो इसका लाभ बहुत स्थानों पर कालेधन वालों ने उठाया। पैट्रोल पम्पों पर यह सुविधा दी गयी और वहां भी चार दिन में ही इतनी सेल दिखा दी गयी जो शायद दो वर्षो में भी न हुई हो। ऐसे पैट्रोल पम्प मालिकों को ईडी के नोटिस आना इसका प्रमाण है। सरकारी परिवहन सेवाओं को भी इसके लिये इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर आम आदमी को राहत देने के लिये जो भी कदम उठाये गये उनका दुरूपयोग हुआ है। संभवत:इसी दुरूपयोग का परिणाम है कि कालाधन रखने वालों को इसकी घोषणा का फिर मौका दिया जा रहा है।

करंसी की व्यवस्था की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक उतने ही नोट छापता है जितना उसके पास रिजर्व में सोना उपलब्ध रहता है। सोना ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी मुद्रा का आधार होता है। स्मरणीय है कि इसी आधार को बनाये रखने के लिये स्वर्गीय चन्द्र शेखर के शासनकाल में सोना गिरवी रखना पडा था। इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि करंसी का मूल आधार सोना रहता है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने जितने भी नोट छापकर बाजार में भेजे हैं उनका अनुपात: सुरक्षित भण्डार सोने के रूप में उसके पास मौजूद है। ऐसे में यदि उसके छापे हुए 500 और 1000 के नोटों का चलन बन्द कर दिया गया तो उतना स्वर्ण भण्डार तो उसके पास है ही।आरबीआई के पास यह आंकड़ा भी हर समय उपलब्ध रहता है कि कितने नोट विभिन्न बैंको के पास हैं और कितने बैंको से निकलकर खुले बाजार में पहुंच चुके हैं। इस परिदृश्य में जब यह नोटबंद किये गये और उन्हे नये नोटों के साथ बदलने की सुविधा दी गयी तो इसके लिये एक अनुपात में पूर्व व्यवस्था की जा सकती थी जो नही की गयी। हर आदमी काला धन रखने का दोषी नहीं है इसलिये उसे नोट बदलने के लिये जायज़ समय मिलना चाहिये था जो मिला भी। तय समय सीमा के बाद नोट बदलने का काम पूरी तरह बन्द हो जाना चाहिये था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुल कितने पुराने नोट वापिस आये और कितने नही आये। जो नोट वापिस नहीं आते उससे सरकार का, आरबीआई का तो कोई नुकसान नही होता। नुकसान तो केवल नोट रखने वाले का होता। जब पुराना नोट चाहे वह किसी के पास चलना ही नही है तो उसकी गिनती किस अर्थव्यवस्था में कि जा सकती है। कालेधन से जो संपति खड़ी की गयी है वह तो बनी ही रहेगी उसकी जांच पड़ताल कभी भी की जा सकती है। लेकिन जेब में रखा हुआ पुराना नोट तो चलन बन्द होने के बाद महज कागज का टुकडा मात्र है। आरबीआई इन पुराने नोटों को रिसाईकिल करवा कर केवल करंसी पेपर ही ले सकता है इससे अधिक कुछ नही। ऐसे में अब कालेधन वालों को टैक्स छूट देकर और समय देना सरकार की नीयत और नीति दोनों के लिये घातक होगा।

पारदर्शी कर संग्रहण प्रणाली से कारोबारियों को मिली बड़ी राहत

राजस्व संग्रहण में आबकारी एवं कराधान विभाग के महत्व के दृष्टिगत राज्य सरकार ने व्यापारी वर्ग को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ पारदर्शी राजस्व संग्रहण जैसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश के कुल राजस्व संग्रहण में विभाग का 65 प्रतिशत योगदान है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों से प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने गत तीन वर्षों में 15287.77 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है तथा इस वर्ष 6,558.57 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है।

प्रदेश के सभी पंजीकृत व्यापारियों एवं कारोबारियों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष बिना किसी कारोबार की सीमा के सभी पंजीकृत डीलरों को समूह दुर्घटना बीमा योजना के दायरे में लाया जा रहा है जिसका प्रिमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि को भी बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। गत वर्ष केवल 25 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को ही यह सुविधा प्रदान की जा रही थी। इससे कारोबारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है।

कारोबारियों की सुविधा के लिए इस वर्ष 1.50 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करने वाले डीलरों को डीम्ड एसेसमैंट के दायरे में लाया जा रहा है जबकि पहले यह सुविधा एक करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को ही प्राप्त थी। इस सुविधा के चलते व्यापारियों को विभाग के कार्यालयों में बार-बार चक्कर काटने से राहत मिली है और उन्हें अपने व्यावसायिक परिसरों अथवा घरों पर ही हर समय, यहां तक की अवकाश के दिनों में भी इस सेवा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए ही इस वर्ष 30 लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को एक मुश्त कर योजना के दायरे में लाया जा रहा है। इसके तहत केवल एक प्रतिशत की दर से कर देने की व्यवस्था की गई है जबकि पहले यह सुविधा केवल 25 लाख रुपये का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को ही मिल रही थी।

इसी तरह, डीलरों को अलग-अलग अधिनियमों के अंतर्गत पृथक् लॉग-इन आई.डी द्वारा विभिन्न रिटर्न अपलोड करने की कठिनाई से निजात दिलाने के लिए विभाग द्वारा कामन लाग-इन आई.डी उपलब्ध करवाई गई है, जिसके माध्यम से डीलरों को अलग-अलग अधिनियमों के तहत अपनी सभी रिटर्न अपलोड करने की सुविधा घर बैठे ही हासिल हुई है। इसके अतिरिक्त, कारोबारियों को सुविधा देने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित अधिनियम (वैट) के तहत वसूल की जाने वाली पंजीकरण फीस को भी माफ कर दिया है।

ऊर्जा की बचत जहां राष्ट्र व प्रदेश हित में है वहीं इसकी बचत व्यक्तिगत हित में भी है क्योंकि ऊर्जा की बचत से जेब पर कम बोझ पड़ता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रचलन को बढ़ावा देने व बहुमूल्य ऊर्जा की बचत के लिए इस वर्ष सौर कुकर व सौर लालटेन पर वसूले जा रहे 5 प्रतिशत वैट में पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश में ऊर्जा बचत के बढ़ावे के लिए सभी प्रकार की एलईडी लाईटों पर वैट की वर्तमान दर 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ट्रकों एवं बसों की बॉडी फैब्रीकेशन पर वैट की दर को 13.75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। प्रदेश सरकार ने वैट रिफंड को समयबद्ध करने के लिए पहले ही नियमों में संशोधन कर दिया है। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि डीलरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही वैट कर का रिफंड मिल सके। बोतल बंद पानी पर लगाये गए कर को घटाया गया है ताकि यह उद्योग अन्य राज्यों में स्थापित ऐसे उद्योगों से स्पर्धा कर सके।

बाजार में मंदी की वजह से लोहे तथा स्टील उत्पादक दबाव में हैं। उन्हें इस दबाव से राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष लोहे व स्टील पर एजीटी कर को 75 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया गया है।

छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित वैट विधेयक पास करवाया गया है, जिसके तहत सालान 8 लाख रुपये से कम कारोबार करने वाले ढाबा, हलवाई, चाय व चाट कारोबारियों को मूल्य सवर्द्धित कर (वैट) की अदायगी में छूट प्रदान की गई है। पूर्व में यह छूट 5 लाख रुपये से कम कारोबार करने वाले कारोबारियों को प्राप्त थी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कारोबारियों को फायदा हुआ है। विधेयक के अनुसार ही हिमाचल में दूसरे राज्यों से प्रवेश कर रहे ट्रकों, जिनके पास ढोए जा रहे सामान की पूर्ण ऑनलाईन घोषणा हो, उन्हें अब बैरियर पर रूकने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पहले केवल प्रदेश से बाहर जाने वाले ट्रकों को बैरियर पर रोकने से छूट प्राप्त थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बैरियर पर माल ढुलाई की प्रक्रिया परेशानी मुक्त हुई है, वही इससे बेरियरों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ से भी निजात मिली है।

प्रदेश में पर्यटन व वायु संचार को बढ़ावा देने के दृष्टिगत अधिसूचित एयरलांइस द्वारा खरीदे जा रहे विमानन ईंधन पर कर 27 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में प्राइवेट एयरलांइस भी अधिक संख्या में वायु सेवा प्रदान कर सकेगा जिससे अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। इसी प्रकार से प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन स्वरूप हिमाचल प्रदेश विलास कर अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पिछड़ी पंचायतों में प्रथम अप्रैल, 2013 से प्रचलन में आए होटलों तथा होम-स्टे को दस वर्ष की अवधि के लिए विलास कर में छूट प्रदान की गई है।

उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योगों से औद्योगिक इनपुर पर प्रवेश शुल्क को वर्तमान की 2 प्रतिशत की दर को घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। 300 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार देने वाले उद्योगों से पहले 5 वर्षों तक केवल 2 प्रतिशत विद्युत शुल्क लिया जा रहा था, जिसे घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस

अधिकार आधारित सशक्तिकरण

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) दिव्यांगजन हैं, लेकिन कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हमारी आबादी का 5 प्रतिशत अधिक हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। सरकार ने भी अब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। इस वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया है।

– सरिता बरारा –

भारत में 1995 के दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता) लागू होने के साथ ही उनके अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला कदम बढ़ाया गया है। भारत का दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता (यूएनसी.आर.पी.डी) स्वीकार करना है। राज्यसभा में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिसमें इस प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रावधान है। इस विधेयक को अभी संसद से मंजूरी मिलनी है।

दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2014

अब सभी की निगाहें दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पर टिकी हुई हैं, जो 1995 के अधिनियम का स्थान लेगा। इस विधेयक में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं की कई मांगों को शामिल करने का प्रावधान है। ये लोग इसे जल्द ही संसद में पारित करवाने का दबाव बना रहे हैं।

इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में कानून के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुगम्यता को अनिवार्य करना, प्रस्तावित लाभार्थी श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 19 करना, कम से कम 40 प्रतिशत विक्लांगता वाले व्यक्तियों को भी कुछ लाभ की पात्रता देना शामिल है। इसमें सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों और परिवहन के साधनों, मतदान केंद्रों आदि स्थानों पर दिव्यांगों के अनुकूल सुगम्यता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इस विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अंतर्गत दंडनीय है।

इसके अलावा प्रस्तावित कानून के जरिए सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के कई उपाय किए हैं।

सुगम्य भारत अभियान

यह अभियान लगभग एक वर्ष पहले 15 दिसंबर को शुरू किया गया था। सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य सक्षम और बाधारहित वातावरण तैयार कर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता उपलब्ध कराना है। इसे तीन उद्देश्यों – तैयार वातावरण में सुगम्यता, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता और ज्ञान तथा आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच पर केंद्रित किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार भवनों को पूरी तरह सुगम्य बनाने के लिए 31 शहरों के 1098 भवनों में से 1092 भवनों की जांच का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

सुगम्य पुस्तकालय

सरकार ने इस वर्ष अगस्त में एक ऑनलाइन मंच 'सुगम्य पुस्तकालय' का शुभारंभ किया, जहां दिव्यांगजन बटन क्लिक करते ही पुस्तकालय की किताबें पा सकते हैं। दिव्यांग व्यक्ति अपनी पंसद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर, डैजी प्लेयर यहां तक की ब्रेल डिस्पले पर ब्रेल लिपि में भी कोई प्रकाशन पड़ सकते हैं। ब्रेल प्रेस वाले संगठन के सदस्य के जरिए ब्रेल लिपि में भी प्रति के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

विश्व नेत्रहीन संघ के महासचिव और अखिल भारतीय नेत्रहीन परिसंघ के अध्यक्ष ए.के. मित्तल का मानना है कि मूल लेखन सामग्री की उपलब्धता की स्थिति और नेत्रहीन लोगों के लिए केन जैसे चलने में सहायक उपकरणों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ब्रेल लिपि में पुस्तकें तैयार करने के लिए उदार अनुदान के संबंध में सरकार की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आधुनिकीकरण और नई ब्रेल प्रेस स्थापित करने के लिए यह योजना उचित तरीके से कार्यान्वित की जाती है तो इससे पुस्तकों का उत्पादन बढ़ेगा।

यूडीआईडी कार्ड

सरकार ने वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी और अलग – अलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी दूर होगी, क्योंकि दिव्यांग का प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

छात्रवृत्ति योजना

सरकार ने मैट्रिक के पहले (46000 स्लॉट्स), मैट्रिक के बाद (16650 स्लॉट्स) और उच्च स्तरीय शिक्षा (100 स्लॉट्स) पाने के इच्छुक छात्रों के लिए भी योजना शुरू की है।

स्वावलंबन

दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए पिछले वर्ष एक राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ किया गया। एनएसडीसी के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अगले तीन वर्षों (पहले वर्ष में एक लाख, दूसरे वर्ष में डेढ़ लाख और तीसरे वर्ष में ढाई लाख) में पांच लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वकांक्षी लक्ष्य तय करने का प्रस्ताव किया है। कार्य योजना का उद्देश्य 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण देना है।

सामाजिक अधिकारिता शिविर

विभाग दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण वितरित करने के लिए शिविर आयोजित करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर में गुजरात में आयोजित ऐसे एक शिविर में 11 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए। देश भर के दूर – दराज के इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित किए गए।

चिंता के क्षेत्र

दिव्यांगजनों के लिए पहले कानून के एक दशक से भी अधिक गुजर जाने और समय – समय पर विशेष भर्ती अभियान के बावजूद सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षित सीटों में से लगभग एक प्रतिशत भर्तियां ही हो पाई हैं और यह बात सरकार ने स्वयं स्वीकार की है। 14,000 से अधिक चिन्हित पदों पर अभी भी भर्तियां होनी शेष है। लगभग 10,000 नेत्रहीनों के लिए आरक्षित सीटें भरी जानी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2011 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति से बाहर हैं और मानसिक रूप से विक्लांग, दिव्यांग महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।

सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरक्ष: कार्यान्वित किया जाता है तो स्थिति में सुधार हो सकता है।

कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने का भी अनुरोध किया है, ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके।

आशाएं और आकांक्षाएं

पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई कई योजनाओं और कार्यक्रमों की तेजी से समावेशी और न्यायसंगत विश्व बनाने की परिकल्पना साकार हो सकती है।

एक वन बेटियों को समर्पित करने की अनूठी पहल

ऊना ज़िला प्रशासन का पूरे देश को एक नया संदेश व नई सोच

ऊना, (हिमाचल प्रदेश) ऊना ज़िला प्रशासन ने इस वर्ष देश में अपनी किस्म की एक अनूठी पहल करते हुए एक वन बेटियों को समर्पित किया है और जनसाधारण को नारा दिया है – 'बेटी बचाओ, पेड़ लगाओ।' इसके पीछे उनकी सोच यही है कि बेटियों के प्रति समाज का नजरिया और विकसित हो और पौधारोपण के लिए लोग आगे आएं व पर्यावरण संरक्षण में उनकी सहभागिता बढ़े। एक वन बेटियों को समर्पित करने की उनकी इस पहल ने ऊना जिला के टकारला गांव को भी एक नया गौरव प्रदान किया है।

मेहतपुर – अंब राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती 20 कनाल जमीन में बरसात के सीज़न में जिला के सभी विभागों के अफसरों व स्थानीय जनता की सहभागिता से विभिन्न प्रजातियों के 200 ऐसे पेड़ रोपे गए जो तेजी से आकार लेते हैं। तीन साल की उम्र के 6 से 8 फुट ऊंचे इन पेड़ों की पौध को प्रदेश में पहली बार ऊना जिला में वन विभाग की नर्सरियों में मनरेगा लेबर द्वारा तैयार किया गया है और अगले दो सालों के भीतर ये पेड़ वन का रूप ले लेंगे। इस समय इस वन के साथ लोगों का भावनात्मक लगाव भी रहे और समाज के बीच बेटियों के प्रति एक सकारात्मक सोच भी उत्पन्न हो, इसके लिए उना ज़िला प्रशासन ने यह पूरा वन बेटियों को समर्पित कर दिया है। लहराते इन पेड़ों को देखकर अब अपार खुशी होती है। यहां कई होर्डिंग लगाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने वाहनों में गुजरने वाले लोगों से यह अपील की गई है कि वे कुछ क्षण यहां रूकें और अपनी बोतलों में बचे पानी को इन पेड़ों में भी डालकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

बेटियों को समर्पित इस वन में रोपे गए पेड़ों को पशु नुक्सान न पहुंचा पायें, इसके लिए सीमेंट के 80 खंबे लगाकर पूरे वन क्षेत्र की तारबंदी की गई है और लोगों के भीतर जाने के लिए एक रोटेशन वाला गेट लगाया गया है। इन पेड़ों की पौध को चूंकि मनरेगा के तहत वन विभाग की नर्सरियों में तैयार किया गया है, इसलिए इस वन क्षेत्र को विकसित करने में स्थानीय पंचायत के साथ – साथ मनरेगा कार्यरत लोगों की पूरी सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी। वन विभाग ने इस वन की देखभाल के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी इस क्षेत्र में कर दी है और लोगों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से इसमें सहयोग करें।

ऊना ज़िला के टकारला गांव में बेटियों को समर्पित यह वन तैयार करने के लिए पौधारोपण की विधिवत तकनीक वन विभाग के आधिकारियों द्वारा उपस्थित लोगों को सिखाई गई ताकि नर्सरी में तैयार किए गए इन पौधों को जमीन में रोपे जाते समय कोई नुक्सान न पहुंचे और ये नई जमीन में अपनी जड़ें सहजता से पकड़ सकें। इन पेड़ों को लगाने के लिए खोदे गए गडढों में पहले अच्छी किस्म की मिट्टी की भराई की गई। इन वन की खासियत यह भी होगी कि इसमें आम, आंवला, जामुन, शहतूत जैसे फलदार पेड़ों के अलावा पीपल, अर्जुन, हरड़, बेहड़ा, शीशम, बांस , सिल्वर ओक के पेड़ भी लहलहायेंगे।

वन विभाग के अधिकारियों तथा

उना ज़िला प्रशासन नें बेटियों को समर्पित इस वन को संरक्षित वन की श्रेणी में लाने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया है ताकि इस वन का भविष्य सुरक्षित रहे और 'बेटी बचाओ– पेड़ लगाओ' का संदेश हमेशा प्रेरणादायक रहे। टकारला गांव में तैयार किए जाने वाले इस वन के साथ ही प्रसिद्ध देवालय भी है लिहाजा इससे इस देवालय में शीश नवाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को यहां छाया भी उपलब्ध होगी और इस स्थल के प्राकृतिक सौंदर्य में भी इजाफा होगा।

हिमाचल प्रदेश भले ही पर्वतों व वनों से आच्छादित प्रदेश कहलवाता है लेकिन इस प्रदेश के बार्डर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पेड़ हैं और यहां पौधारोपण के अभियान को गति देकर पर्यावरण संतुलन बरकरार रखा जा सकता है। उना ज़िला प्रशासन नें सभी पंचायत पदाधिकारियों से अपील की है कि वे अपने – अपने क्षेत्र में इसी तरह बेटी बचाओ मुहिम को पेड़ लगाने से जोड़ें और जिला को एक नया गौरव प्रदान करें। उना ज़िला प्रशासन नें कहा कि विभिन्न पंचायतों में वन भूमि चिन्हित करके उन्हें वनों में तबदील किया जायेगा।

ऊना में चलाई गयी 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ और पेड़ लगाओ' विशेष मुहिम की शुरूआत टकारला गांव से की गयी और इस मुहिम में जनसाधारण की भी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की गयी। भविष्य में ऊना जिला बेहतर लिंगानुपात के लिए भी आदर्श जिला बनकर सामने आयेगा।

यह वन बेटियों को समर्पित करके ऊना ज़िला प्रशासन ने पूरे देश को एक नया संदेश व नई सोच दी है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओं, संदेश को जन – जन तक पहुंचाया जाए। आज लोगों की सोच में अंतर तो आया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सरकार द्वारा पंचायत और जिला प्रशासन स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जाएं, जिससे बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाए। पर्यावरण संतुलन और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा तथा स्वच्छ वातावरण के लिए वृक्षा रोपण वक्त की मांग है। इस दिशा में हम सभी को जहां तक संभव हो सके, एक – एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने विद्यालय स्तर पर ही यह कार्यक्रम चलाया है। देश के हर विद्यालय में विद्यार्थियों को बचपन से ही वृक्षों की हिफाजत करना और अपने लगाए पौधों को पनपते हुए देखने का सुअवसर दिया जाना चाहिए, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके। आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं के साथ – साथ वन लगाओ भी आवश्यक हो गया है। प्रत्येक देशवासी को इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए और लोगों को इस विषय पर जानकारी मुहैया करानी चाहिए।

– डॉ. जी एल महाजन –

यह बेनामी संपति मामले रहे हैं सिद्धु कमेटी के सामने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 और 1000 रूपये के नोट बंद करके कालेधन के खिलाफ जो कदम उठाया है उसे आगे बढ़ाते हुए अब बेनामी संपतियों के खिलाफ कारवाई करने का ऐलान किया है। कालेधन का सबसे ज्यादा निवेश बड़ी संपत्तियों की बेच में होता है यह एक सर्वस्वीकार्य सच बन चुका है। कालेधन के इन निवेशकों के खिलाफ कारवाई करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रायःअभाव ही रहता है यह हिमाचल में बिठायी गयी बेनामी संपति जांच कमेटीयों की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है। प्रदेश में अब तक तीन ऐसी जांच कमेटीयां सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं जिनमें सरकार एक भी रिपोर्ट पर पूरी कारवाई नहीं कर पायी है। अब मोदी सरकार ऐसे मामलों पर क्या कारवाई कर पाती है इसके लिये सबसे पहले बैठी एस एम सिद्धु कमेटी पाठकों के समाने रखी जा रही है।

KULLU DISTRICT

Name and particulars of seller.	Name of permanent address of purchaser	Description of Land/ Building Mauza/ Muhal/ Tika etc.	Name and particulars of seller	Full Particulars of person in Possession i.e. actual beneficiaries	Description of Land/ Building Mauza/ Muhal/Tika etc.
1. Shri Jindoo Ram & Nirat Ram S/o Shobhu R/o Bhati Nasogi.	M/S Akhnoor Hotels Pvt. Ltd. R/o Gautam Nagar New Dehli. Through Dinesh Sharma.	Land measuring 1-10 Bishas comprised in Kh. No. 1946/ 2Situated at Bhati Nasogi The. & Distt. Kullu.	10. J.N. Saggi Raja Coy Manufacturing House Ex 19 Bacca Bag Jallandhar.	Joginder Pal r/o B-5, Industrial Area, Jallandhar.	Kh. Nos. 620 to 636 situated at Up Mohal Bakrota. Measuring 0-16-65 hect.
2. M/S Panchrattan Hotels Pvt. Ltd. Manali.	M/S Panchrattan Hotels Pvt. Ltd. Manali.	Kh. No.2420/2231 measuring 11 Biswas Situated at Bhati Manali.	11. R.K. Tandon r/o B-25 Greater Kailash New Delhi.	Surinder Singh Bedi r/o Delhi	Kh. Nos. 1795 to 1798 & 1800 to 1809 measuring 0-43-03 Hect suitated at Up Mohal Bakrota.
3. Jindoo Ram S/O Shobhu r/o Phati Nasogi.	M/S Hira Moti Hotel & Resorts Pvt. Ltd.	Land measuring 1-18 bighas comprised in Kh. No. 1947 situated at Phati Nasogi Kothi Manali	12. Sardari Lal r/o New Mishri Bazar, Amritsar.	Amdo Rubru Tibtian Irish Villa S.T. The Mall Amritsar (Pb)	Kh. No. 1750 /1373/2 measuring 1-46-31 hect. Situated at Up Mohal Moti Tibba.
4. Manu & Atu s/o Manohar r/o Kothi Nasogi	Smt. Rukmani Devi r/o Palampur.	Land measuring 7 biswas Comnprised in Kh. Nos. 2166, 2165 & 2167 Phati Kullu, Teh.& Distt. Kullu.	13. Raj Kumar Halwai, Sadar Bazar, Dalhousie.	Bhupinder Singh Contractor, Dalhousie Cantt.	Kh. No. 1932 measuring 0-37-89Hect Situated at Up MohalBakrota.
5.Dola Ram etc.sons of Atma Ram r/o Phati Nasogi.	Lableen Kaushal r/o Phati Nasogi Kothi Manali , Teh.& Distt. Kullu.	Kh.No 2175 land measuring 1-17 bighas situated at Nasogi Teh. & Distt .Kullu.	14. Smt Tara Wati wd/o Mulak Raj r/o Krishna Dham, Dalhousie.	S.K. Kaul r/oKrishna Dham Estate Dalhousie	Kh. No. 2472situated at Mohal Moti Tibba.
6. Smt. Sushila Devi d/o Bhoop Singh r/o Vijaypur, Sub-Teh. Jhandutta, Distt. Bilaspur.	Smt.Kamla Devi w/o Bal Raj Sethi r/o Phati Nasogi Teh. Kullu.	1/2 share of Kh. No. 2173 measuring 4 biawas situated at Phati Nasogi.	15.Tara Wati wd/o Mulak Raj r/o Krishna Dham, Dalhousie .	B.S. Pathania r/o Krishna Dham Estate, Dalhousie	Kh. No. 2472situated at Mohal Moti Tibba.
7. Tara Chand s/o Gola r/o Phati Nasogi.	Smt. Kamla w/o Bal Raj Sethi r/o Phati Nasogi.	1/3 Share of Kh. No. 2196 measuring 1 biswas.Kh.No. 2197 measuring 0-6-12 biswas (53/240 share) 19/ 120 share of Kh. No. 2198, measuring 0-1-12 bighas.	16. Amarjit Singh Kochhar.	Smt. Kiran Aggarwal r/o B-142 Industrial Area Jallandhar (Pb)	Kh. Nos. 481 to 487 measuring 0-32-9 Hect Situated at Up Mohal Bakrota.
8. Bhimi Ram s/o Ude Ram r/o Phati Nasogi.	M/s Khuller Resorts Pvt. Ltd.r/o Civil Line, Ludhiana.	Kh. No. 2163/1measuring 1-13 bighas situated at Phati Nasogi.	17. Smt. Kamla Devi wd/ o col.Jagat Ram r/o Up Mohal, Dalhousie.	Krishan Kumar c/o Ganesh Sanitary & Baint Store.Nakodar Chowk. Jallandhar(Pb)	Kh. No. 352 measuring 0-05-04 Hect situated at Up Mohal Dalhousie.
9. Ritu Singh w/o Padam Singh and Padam Singh s/o Dhian Singh r/o Kothi Manali.	M/S Kirti Resorts Pvt. Ltd. Shimla	Kh. No.397 measuring 3-17 bighas situated at Phati Baragaran Teh. Kullu.	18. A.K. Mehra r/o Hemkunth Hotel Dalhousie.	Madan Lal Malhotra c/o M/S.J.N. Manufacuring coy. Preet Nagar Jallandhra (Pb)	Kh. Nos. 282 to 286 and 300 measuring 0-23-95 Hect. Situtated at Up Mohal Moti Tibba.
10. Rajinder Kumar, Daulat Ram and Tule Ram r/o Sew Bag Phati Kais Distt. Kullu	Dharamvir s/o Laksmi Kant r/o Kothi Kais Distt. Kullu.	Measuring 2-9-6 bighas comprised Kh. No. 4798 Situated in Phati Barua Teh. Kullu.	19. Jaswant Singh s/o Ram Singh r/o C 63 Friend Colony New Delhi.	Hargobind Singh Sodhi r/o A-3 /234 Janak Puri News Dehli	Kh. Nos. 150, 152, 154 & 155 , 156 & 169 measuring 0-08-93. Hect. Situteds at Up Mohla Moti Tibba
11. Smt. Ruldhi w/o Dolu r/o Shaleen Teh. Kullu.	Smt. Ruldhi w/o Dolu r/o Shaleen Teh. Kullu.	Kh. No.2558 measuring 1-17 bighas Situated at Phati Saleen Tehsil Manali	20. Jagnal Singh Randhawa s/o Mohinder Singh r/o Kera Nangal, Amritsar.	Rajinder Kumar Sharma, new palace, Subhash chowk Dalhousie.	Kh. Nos.939 950 & 951 measuirng 0-07-73 Hect .
			21.Kiran & Rajiv Chaudhary Fair View Hotel, Dalhousie.	Saitsh Bhandari c/o M/S Janak Raj & sons Dalhousie.	Kh. Nos. 1415,14167 1418 measuring 0-12-10 Hect.
			22. Joginder Singh s/o Amar Singh Nashmen Estate, Dalhousie.	Shori Lal Mahajan of Dalhousie .	Kh. No685 situated at Up Mohal , Bakrota.
			23. Joginder Singh s/o amar Singh Nashmen Estate, Dalhousie.	Smt. Amrjeet Kaur r/o Dalhousie	Kh. No. 685 /1 measuring 0-01-30 Hect.
			24. Joginder Singh s/o amar Singh Nashmen Estate, Dalhousie.	Dlip Singh r/o talwara Bus Stand, Mnkerian (near Petrol Pump)	Kh. No. 685 /1 measuring 0-01-30 Hect.
			25. Smt. Kanta Mahjan w/ o Shori Lal r/o Dalhousie	Sudhir Kumar Mahajan, Hotel Kings, Dalhousie.	Kh. Nos. 708,709,711 and 717 measuring 0-12-35 Hect. Situated at up Mohal Bakrota.
			26.Jagmohan Raj r/o Bakrota, Dalhousie.	Ahsok kumar r/o Woodland Middle Bakrota Dalhousie	Kh Nos.55 to62 measuring 0-51.23 Hect. Situated at up Mohal Bakrota.
			27. Jaswant Singh s/o Ram Singh r/o C 63 Friend Colony New Delhi.	Hargobind Singh r/o House No. 173 Ajit Singh Amritsar.	Kh. NOs. 150 152 154 & 155 , 156 7 0-08-93. Hect. Situteds at Up Mohla Moti Tibba.
			28. G.K. Bangang Rinponche r/o Bakrota Dalhousie.	Smt. Ranjit Kaur. w/o Kulwant singh r/o Kikhi Building.	Kh. Nos. 132 to 135 measuring 0-14-06 Hect. Situated at up Mohal, Bakrota.
			29.Smt.Santosh w/o Rakeksh Kumar r/ oDalhousie.	Shoba Mahajan w/o Ramesh Chand r/o Dhangu Raod, Pathankot (Pb)	Kh. No. 353 measuring 0-06-24 Hect. Situated at Dalhousie.
			30. Ram Chand s/o Bathu Ram r/o Jandrighat, Dalhousie	Har Krishan Singh r/o Sehgal Hospital Sundernagar Pathankot	Kh. No. 26 measuring 0-0-81 Hect situated at Jandrighat, Dalhousie.
			31. Joginder Singh s/o Amar Singh r/o Bakrota Dalhousie.	Surjeet Kaur w/o Karnail Singh and Tasender Kaur w/o Sucha Singh r/oBarera Amritsar.	Kh. No 123 Min measuring 0-03-30 hect situated at up Mohal Bakrota
			32. Smt. Veena Sharma w/o Rajesh r/o Nurpur Distt Kangra	Balbinder Singh r/o ISO Shri Vidhan singh Nagar , Jallender and Kuldeep Singh s/o Swarup Singh.	Kh. No. 123 /3/1 measuring 0-02-62 hect.

CHAMBA DISTRICT

Name and particulars of Seller	Full Particulars of person in Possession i.e. actual beneficiaries	Description of Land/ Building Mauza/ Muhal/ Tika etc.
1.Manjeet Kaur w/o Harinder Singh Gill r/o 37 The Mall Amritsar	Sheetal K. ViJ r/o S/B/ -9 Jallandar(Pb)	Kh. Nos. 636 to 639 measuring 0-02-29 hectare situated at Up Mohal, Kathla, The Bhattiyat.
2.O.P Kataria & Preerti Kataria r/o Dalhusie.	Vakil Singh r/o Jallandhar City (Pb)	Kh. Nos. 255 to 267 and 270 measuring 0-23-10 Hect. Situated at Up Monal, Dalhausie
3.Bal dev Raj & RajPal Kapoor r/o Tehsil Bazar, Amrisar (Pb).	Bal dev Raj & RajPal Kapoor r/o Tehsil Bazar, Amrisar (Pb).	Kh. Nos. 271 & 278 measuring 0-18-95 Hect situated at Up Monal Dalhousie.
4. Joginder Singh s/o Amar Singh r/o Nashmen Estate Bankrota Dalhousie. -	Smt Beena Aggarwal r/o Kothi no. 18 DC Office, Amritsar (Pb).	Kh.No. 123 measuring 0-01-35 hect. Situtated at UP Monal Bankrota.
5.Joginder Singh s/o Amar Singh r/o Nashmen Estate Bankrota Dalhousie.	Surjit Singh r/o N a s h m a n EstateDalhousie.	Kh.No. 123 measuring 0-01-35 hect. Situtated at UP Monal Bankrota.
6.Joginder Singh s/o Amar Singh r/o Nashmen Estate Bankrota Dalhousie.	B.K. Malhotra r/o Gurdaspur (Chemist near Civil Hospital, Guraddaspur).	Kh.No. 123 measuring 0-01-35 hect. Situtated at UP Monal Bankrota.
7. Joginder Singh s/o Amar Singh r/o Nashmen Estate Bakrota.Dalhousie	Jaskirat Singh Nashmen Estate, Dlahousie	Kh. No. 123 measuring 0-01-35 Hect situated at Up Monal Bakrota.
8. Joginder Singh s/o Amar Singh r/o Nashmen Estate Bakrota.Dalhousie	Raghubir Kaur r/o Hurst Lodge Tank Bakrota Dalhousie	Kh. No. 123 measuring 0-01-35 Hect situated at Up Monal Bakrota.
9. R.S. Katoch r/o V& Po Indpur Distt Kangra.	A.K. Sen Good View Bakrota, Dalhousie	Kh. No. 364 measuring 0-02-93 hect situated at Up Monal, Dalhousie

श्री वीरभद्र सिंह
माननीय मुख्य मंत्री, हि.प्र.

बेरोज़गार युवाओं का सहारा बन रही कौशल विकास भत्ता योजना

- पात्र युवाओं को ₹1000 प्रतिमाह
- 50% विकलांगों को ₹1500 प्रतिमाह भत्ता दो वर्ष के लिए देय

पात्रता के लिए आवश्यकता –

- हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी, रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत,
- आयु 16–35 वर्ष, न्यूनतम 8वीं पास,
- पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख से कम • बेरोज़गारी का शपथ–पत्र,
- किसी सरकारी, निजी रोज़गार या स्वरोज़गार में न हो,
- भारत में कहीं, किसी भी कौशल विकास पाठ्यक्रम में नामांकित,
- मिस्त्री/बढ़ई/लोहार/प्लम्बर के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं

योजना के अंतर्गत अब तक
1,62,615 युवा लाभान्वित

सुपुत्र श्री भगवन्त सिंह
गांव– शिलड़, डा. जमटा
तहसील– नाहन, जिला– सिरमौर

"मैंने बारहवीं पास की, फिर लगा जीवन में आगे बढ़ने के सब रास्ते बंद हैं। दोस्तों से मुझे कौशल विकास भत्ता योजना का पता चला। आई.टी.आई. में दाखिला लिया, यहां आकर ही मुझे पता चला कि कौशल विकास, मतलब किसी भी हुनर का विकास करके, हम कैसे जीवन में आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं खुश इसलिए हूं कि मेरे हुनर को निखारने के लिए सरकार हर महीने 1000/– रुपये की सहायता दे रही है। सचमुच यह योजना मेरे और मेरे जैसे हजारों बेरोज़गार युवाओं के लिए ज़िन्दगी में आगे बढ़ने का सहारा बन गई है।

ओम प्रकाश
मो. : 98058.20470

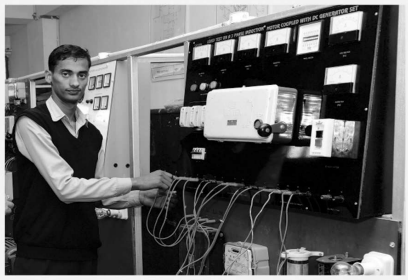

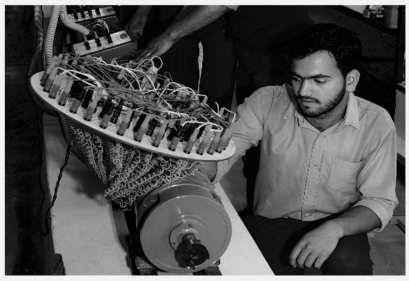

अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम रोज़गार कार्यालय या निदेशालय, श्रम एवं रोज़गार में
0177–2624209 पर सम्पर्क करें या log on करें www.himachal.nic.in/ employment या lep-hp@nic.in पर ई–मेल करें

हुनर में आया निखार – खुले रोज़गार के द्वार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश के पन्द्रह प्राईमरी स्कूल बिना किसी छात्र के, पांच की संख्या तक के 99 स्कूल हुए बन्द

290 प्राईमरी,196 अप्पर प्राईमरी और सकैण्डरी स्कूलों के पास केवल एक-एक कमरा

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता के लिये पिछले दिनों एक मीडिया ग्रुप ने दिल्ली में आवार्ड प्रदान किया है। मुख्यमंत्री के नाम पर इस आवार्ड समारोह में उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए थे और उन्होने यह आवार्ड ग्रहण किया था। जिस दौरान यह आवार्ड समारोह आयोजित हुआ था उसी दौरान प्रदेश कई भागों से यह समाचार भी आये थे कि कहीं पर छात्रों ने अध्यापकों की कमी के कारण सामूहिक रूप से स्कूल छोड़ दिया या अभिभावकों ने जाकर स्कूल ही बन्द कर दियं यह स्थिति माध्यमिक शिक्षा की थी।

इसके मुकाबले में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति तो और भी निराशाजनक रही है। प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जो कहीं अध्यापकों के संख्या मानदण्ड पूरे नही करते तो कहीं छात्रों की संख्या के मानदण्ड पूरे नही करते हैं। जबकि एक प्राथमिक स्कूल से लेकर कालिज खोलने तक मानदण्ड तय हैं। लेकिन इन मानदण्डो की अनदेखी करते हुए स्कूल खोल दिये गये। शिक्षा के प्रचार के लिये आप्रेशन ब्लैक बोर्ड से लेकर सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्च अभियान जैसे जो भी कार्यक्रम केन्द्र सरकार की ओर से समय-समय पर आये उनमें पहली प्राथमिकता नये शिक्षण संस्थान खोलने की रही है और इसमें तय मानदण्डों की जमकर अनदेखी हुई है। इस अनदेखी के परिणाम स्वरूप आज सरकार को शून्य से पांच की संख्या तक के 99 प्राथमिक स्कूल बन्द करने के आदेश जारी करने पड़े हैं। इन स्कूलों को बन्द करने के लिये यह सुनिश्चित किया गया है इनके एक से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में दूसरा स्कूल उपलब्ध रहे। ताकि बन्द किये स्कूल के बच्चे और अध्यापक उस निकट के स्कूल में समायोजित किये जा सकें।

लेकिन इसके अतिरिक्त 290 प्राईमरी 196 अप्पर प्राईमरी और चार सकैण्डरी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास केवल एक-एक ही कमरा है। एक कमरे में कैसे सुचारू रूप से अध्यापन हो सकता है इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। स्वभाविक है कि यह स्कूल खोलते समय केवल राजनीति ही प्रभावी रही है बच्चों का भविष्य नही। आज भी मुख्यमंत्री अपने हर दौरे में स्कूल घोषित करते जा रहे हैं ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब पहले खोले गये स्कूलों में ही भवन आदि की कमी है तो फिर नये स्कूलों की घोषणाएं क्यों की जा रही हैं।

शिक्षा का सूरते हाल

एक से डेढ किलोमीटर दायरे का मानदण्ड रखकर जो 99 स्कूल बन्द किये गये हैं उनमें पन्द्रह स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर बच्चों की संख्या शून्य थी। एक से दो की संख्या वाले इस सूची में 17 स्कूल हैं। छात्रों की इस संख्या से यह स्वभाविक सवाल उठता है कि यह स्कूल खोलते समय क्या सोचा गया होगा। अभी एक से डेढ़ किलोमीटर के मानदण्ड से बाहर भी सैंकडो स्कूल ऐसे है। जहां बच्चों की संख्या पांच तक ही है। एक ओर मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि जहां एक भी बच्चा पढ़ने वाला होगा वह वहां भी स्कूल खोलेंगे। इसी कड़ी में प्राईमरी स्कूल से ही अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का दावा किया गया है। लेकिन इन दावों को पूरा करने के लिये स्कूलों अध्यापको की अपेक्षित संख्या की ही भारी कमी है। संभवत: इसी कमी को देखकर अब इस कार्यकाल के अन्तिम वर्ष मे प्राईमरी अध्यापकों के चार हजार पद भरने की घोषणा की गयी है।

Ser No	Name of GPS to be merged	Name of Edu. Block	District
1.	Kiari Dafer	Jhanduta	Bilaspur
2.	Dhar Bindra	Swarghat	Bilaspur
3.	Kathlog	Banikhet	Chamba
4.	Sudli	Banikhet	Chamba
5.	Lalhed	Banikhet	Chamba
6.	Gosti	Pangi	Chamba
7.	Bhater	Hamirpur	Hamirpur
8.	Lag Devi	Hamirpur	Hamirpur
9.	Rajhol	Galore	Hamirpur
10.	Ram Nagar	Galore	Hamirpur
11.	Thanakalan	Sujanpur	Hamirpur
12.	Gaddi	Sujanpur	Hamirpur
13.	Dharyara	Bhoranj	Hamirpur
14.	Sahanwin	Bhoranj	Hamirpur
15.	Lathwan	Bhoranj	Hamirpur
16.	Brahan	Baijnath	Kangra
17.	Bari	Baijnath	Kangra
18.	Upper Maned	Dharamshala	Kangra
19.	Jhroli	Fatehpur	Kangra
20.	Deh Pukhar	Dadasiba	Kangra
21.	Upper Dhaunta	Dadasiba	Kangra
22.	Upper Niar	Dadasiba	Kangra
23.	Rail	Dadasiba	Kangar
24.	Garli	Rakkar	Kangra
25.	Broa	Rakkar	Kangra
26.	Buhli Majhatli	N. Bagwan	Kangra
27.	Kanerh	N Bagwan	Kangra
28.	Bagroor	Jawali	Kangra
29.	Gher	Jawali	Kangra
30.	Bhaler	Palampur	Kangra
31.	Jamula	Palampur	Kangra
32.	Gorat	Palampur	Kangra
33.	Bhasmerh		Kangra
34	Duhag	Pachrukhi	Kangra
35.	Majherna (G)	Panchrukhi	Kangra
36.	Karan		Kangra
37.	Lower Aweri	Panchrukhi	Kangra
38.	Chaundha	Kangra	Kangra
39.	Rehalpura		Kangra
40.	Kairi		Kangra
41.	Batwala		Kangra
42.	Ponda	Nichar	Kinnour
43.	Chounda	Nichar	Kinnour
44.	Shilani	Nichar	Kinnour
45.	Dabling	Nichar	Kinnour
46.	Khangser	Keylong I	L & S
47.	Dalang	Keylong I	L & S
48.	Goharman	Keylong II	L & S
49.	Rapiding	Keylong II	L & S
50.	Chewer	Keylong II	L & S
51.	Ratoli	Udaipur	L & S
42.	Koraki	Udaipur	L & S
43.	Upper Chhaling	Udaipur	L & S
44.	Lower Chhaling	Udaipur	L & S
45.	Rara Bhankehar	Chauntra I	Mandi
46.	Salahan	Chauntra II	Mandi
47.	Pirh	Chauntra II	Mandi
48.	Kala Amb	Chauntra II	Mandi
49.	Ghamiru	Chauntra II	Mandi
50.	Pantehar	Chauntra II	Mandi
51.	Bharan	Chauntra II	Mandi
52.	Dighli	Chauntra II	Mandi
53.	Panjangna II	Drang I	Mandi
54	Langha	Drang-I	Mandi
55.	Athrah	Darang I	Mandi
56	Chhamb(B)	Drand-I	Mandi
57.	Khroon	Dharampur-II	Mandi
58	Sakrain	Dharampur-II	Mandi
59	Bhader	Dharampur-II	Mandi
60	Ropri Baglal	Dharampur-II	Mandi
61	Talwar	Gopalpur-II	Mandi
62	Bachhwan	Gopalpur-II	Mandi
63	Behli-II	Karsog-II	Mandi
64	Dyari	Karsog	Mandi
65	Malari	Seraj-II	Mandi
66	Taryasal	Saigaloo	Mandi
67	Badoha	Saigloo	Mandi
68	Barnota	Saigloo	Mandi
69	Sarwal	Saigloo	Mandi
70	Sared Hawani	Saigloo	Mandi
71	Kumsu-I	Rampur	Shimla
72	Anurakshi	Rampur	Shimla
73	Khinch	Rampur	Shimla
74	Sobli	Rampur	Shimla
75	Sharnal	Rampur	Shimla
76	Panoli	Rampur	Shimla
77	Masarna	Rampur	Shimla
78	Damrali	Rampur	Shimla
79	Chungikhana	Shimla-3	Shimla
80	Golchha	Shimla-3	Shimla
81	Shakoh	Shimla-3	Shimla
82	Rangol	Shimla-3	Shimla
83	Sondari	Chhohara	Shimla
84	Harwani	Chhohara	Shimla
85	Hadwani	Chhohara	Shimla
86	Gokaswari	Chhohara	Shimla
87	Rawashi	Chhohara	Shimla
88	Mathala	Chhohara	Shimla
89	Basnog	Theog	Shimla
90	Sujhayala	Arki	Solan
91	Pamta	Kaffota	Sirmour
92	Chowki	Kaffota	Sirmour
93	Khuinal	Kaffota	Sirmour
94	Bhailla	Sataun	Sirmour
95	Shiva Sunog	Sataun	Sirmour
96	Rakhni	Nahan	Sirmour
97	Chambiyara	Shillai	Sirmour
98	Matoh	Bangana	Una
99	Behran	Gagret-II	Una

सरकारी कॉलिजों में रिलायंस जियो ने पसारे पांव

शिमला/शैल। प्रदेश के सरकारी कॉलिजों में भी मुकेश अबांनी की कंपनी जियो ने अपने 4-जी सिम के ग्राहको की तर्ज पर अपनी फ्री सेवायें देना आरम्भ कर दिया है। इन सेवाओं के प्रयोग के लिये छात्रों की स्मार्ट क्लासज़ तक लगायी जा रही हैं। 4-जी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये कॉलिज प्रबन्धन इन्हे आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवा रहा है। इन सेवाओं के लिये अभी जियो स्मार्ट क्लासज़ के माध्यम से इन सेवाओं के उपयोग के प्रतिछात्र अच्छे ट्रेंड हो जायेंगे और इससे कम्प्यूटर के प्रयोग करने में भी सहायता मिलेगी। जियो ने अब ग्राहकों को मुफ्त सेवाएं देने की समय सीमा 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दी है। इस समय सीमा तक इन कॉलिजो में छात्र और अध्यापक पूरी तरह इनके अभ्यस्त हो जायेंगे और यह उनकी आवश्यकता बन जायेगी। जब 31 मार्च को मुफ्त सेवा अवधि समाप्त हो जायेगी उसके बाद कॉलिजो को इसका उपभोक्ता शुल्क स्वंय उठाना पड़ेगा। छात्रों के लिये स्मार्ट क्लासों का प्रबन्ध भी अपने स्तर पर ही करना होगा।

रिलायंस जियो की एंट्री एक सुनियोजित तरीके से कैसे हो गयी और आने वाले समय में प्रबन्धन पर इसका क्या प्रभाव पडेगा इसको लेकर शिक्षा विभाग के पास क्या प्रारूप है इसकी कोई जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नही है। सूत्रों के मुताबिक सचिव स्तर पर इसकी कोई जानकारी ही नही है। सचिवालय सूत्रों के मुताबिक विभाग में निदेशक स्तर पर ही जियो को एन ओ सी जारी कर दिया गया है। लेकिन जब शैल ने निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय से इस बारे में बात की तो उन्होने भी इस बारे मे अनिभज्ञता जाहिर की और अतिरिक्त निदेशक से संपर्क करने को कहा। अतिरिक्त निदेशक ने भी इस सबंध में उनके पास जानकारी होने से इन्कार किया। रिलायंस के सूत्रों के मुताबिक उन्होने यह शुरू करने से पहले शिक्षा निदेशक से एन ओ सी हासिल किया है। बल्कि अब जियो की तर्ज पर अब कई और कंपनीयां भी प्रदेश सरकार के विभिन्न अदारों में इस तरह की एंट्री के लिये आगे आ रही हैं। इन कपंनीयों के साथ बैठकें भी चल रही हैं। इसमें क्या फैसला होता है यह तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन रिलायंस जियो की एंट्री प्रदेश के पूरे कॉलिज सैक्टर में कैसे हो गयी इसकी पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। इसके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को कितनी जानकारी है? क्योंकि शिक्षा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है इस पर भी विभाग में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहरहाल रिलायंस जियो को प्रदेश के कॉलिज एक सुनिश्चित बाजार के रूप में उपलब्ध हो गये हैं।